



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267060
CG-DL-E-22102025-267060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 682]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 21, 2025/आश्विन 29, 1947

No. 682]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2025/ASVINA 29, 1947

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 766(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 (1957 का 23) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल संरक्षण बल नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल संरक्षण बल संशोधन नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- रेल संरक्षण बल नियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 45 के उप-नियम (2) में, “उन्हें भरने के लिए इन नियमों के अनुसार कदम उठाएगा” शब्दों के स्थान पर “उन्हें रेलवे बोर्ड को भेजेगा” शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के, नियम 47 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
“47 भर्ती के लिए स्तरमान-

(1) **कार्यपालक काडर के लिए शारीरिक स्तरमान:** कार्यपालक काडर में बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती के शारीरिक स्तरमान के बराबर होगा जो निम्नानुसार है:

- (क) ऊंचाई – 170 सें.मी.
- (ख) सीना: बिना फुलाकर – 80 सें.मी.
फुलाकर – 85 सें.मी.

परंतु यह कि महिलाओं और आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए भर्ती के शारीरिक स्तरमान के बराबर ही होगा।

(2) **कार्यपालक काडर से भिन्न के लिए शारीरिक स्तरमान:** कार्यपालक काडर से भिन्न के लिए बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान निम्नानुसार होगा:

- (क) ऊंचाई – 165 सें.मी.
- (ख) सीना: बिना फुलाकर – 80 सें.मी.
फुलाकर – 85 सें.मी.

परंतु यह कि उन व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने बीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ऊंचाई की माप में 2.5 सें. मी. और सीने की माप में 5 सें. मी. की छूट तब दी जा सकेगी जब मंडल चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे मामले में लागू अधिकतम आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम निर्धारित स्तरमान प्राप्त करने की संभावना है।

परंतु यह और भी कि महानिदेशक, सीधी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए पृथक शारीरिक स्तरमान विहित कर सकेगा।”

4. उक्त नियमों में, नियम 48 में,-

- (क) उप-नियम 48.2 में, “कांस्टेबल” शब्द के स्थान पर “कार्यपालक काडर से भिन्न कांस्टेबल” शब्द रखे जाएंगे।
- (ख) उप-नियम 48.2 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“48.3 सीधी भर्ती द्वारा, कांस्टेबल (कार्यपालक) के पद के लिए एक अभ्यर्थी, -
(i) भर्ती की अधिसूचना की तारीख को अठारह वर्ष से अधिक किंतु तेईस वर्ष से कम का होना चाहिए, और
(ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो।”

5. उक्त नियमों में, नियम 49 में,-

- (क) उप नियम 49.1 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“49.1 कार्यपालक काडर में उपनिरीक्षकों और कांस्टेबलों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।”

- (ख) उप-नियम 49.2 में, “कांस्टेबल” शब्द के स्थान पर “कांस्टेबल (कार्यपालक) के सिवाय कांस्टेबल” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, नियम 51 में,-

- (क) उप-नियम 51.1 को उप-नियम 51.1क के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम से पहले निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“उपनिरीक्षक (कार्यपालक) और कांस्टेबल (कार्यपालक) के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के चिकित्सा अधिकारी या केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अस्पताल या औषधालय के ग्रेड-I के किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी या सहायक चिकित्सक द्वारा की जाएगी।”

(ख) उप-नियम 51.1क में, “अभ्यर्थी” शब्द के स्थान पर “कार्यपालक काडर के सिवाय अभ्यर्थी” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2025/सुरक्षा(विशेष)/01/7]

महेश्वर सिंह, महानिरीक्षक (प्रशासन)

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 951(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात इन्हें निम्नलिखित उपांतरणों द्वारा संशोधित किया गया था, अर्थात्:-

1.	सा.का.नि. 374	तारीख 24 जुलाई, 1992
2.	सा.का.नि. 574	तारीख 7 नवम्बर, 1994
3.	सा.का.नि. 164	तारीख 20 मार्च, 1995
4.	सा.का.नि. 45	तारीख 12 जनवरी, 1996
5.	सा.का.नि. 39 (अ)	तारीख 17 जनवरी, 1996
6.	सा.का.नि. 45 (अ)	तारीख 29 जनवरी, 1997
7.	सा.का.नि. 151 (अ)	तारीख 11 मार्च, 1997
8.	सा.का.नि. 229	तारीख 15 जुलाई, 1999
9.	सा.का.नि. 756 (अ)	तारीख 2 नवम्बर, 1999
10.	सा.का.नि. 768 (अ)	तारीख 2 नवम्बर, 1999
11.	सा.का.नि. 286	तारीख 20 जुलाई, 2000
12.	सा.का.नि. 359	तारीख 8 सितम्बर, 2000
13.	सा.का.नि. 483	तारीख 24 अगस्त, 2001
14.	सा.का.नि. 790 (अ)	तारीख 22 अक्टूबर, 2001
15.	सा.का.नि. 618	तारीख 12 नवम्बर, 2001
16.	सा.का.नि. 257 (अ)	तारीख 28 मार्च, 2003
17.	सा.का.नि. 448 (अ)	तारीख 29 मई, 2003
18.	सा.का.नि. 312 (अ)	तारीख 13 मई, 2004
19.	सा.का.नि. 245	तारीख 5 जुलाई, 2004
20.	सा.का.नि. 313	तारीख 25 अगस्त, 2004
21.	सा.का.नि. 649 (अ)	तारीख 27 सितम्बर, 2004
22.	सा.का.नि. 365	तारीख 29 सितम्बर, 2005
23.	सा.का.नि. 366	तारीख 30 सितम्बर, 2005
24.	सा.का.नि. 14	तारीख 24 जनवरी, 2007
25.	सा.का.नि. 114	तारीख 14 जून, 2007
26.	सा.का.नि. 527 (अ)	तारीख 1 अगस्त, 2007
27.	सा.का.नि. 803 (अ)	तारीख 31 अक्टूबर, 2008
28.	सा.का.नि. 127 (अ)	तारीख 25 फरवरी, 2009
29.	सा.का.नि. 400 (अ)	तारीख 12 मई, 2010
30.	सा.का.नि. 556 (अ)	तारीख 16 अगस्त, 2013
31.	सा.का.नि. 719 (अ)	तारीख 31 अक्टूबर, 2013
32.	सा.का.नि. 140 (अ)	तारीख 2 फरवरी, 2018
33.	सा.का.नि. 1067 (अ)	तारीख 25 अक्टूबर, 2018
34.	सा.का.नि. 500(अ)	तारीख 20 जुलाई, 2021

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th October, 2025

G.S.R. 766(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957 (23 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Protection Force Rules, 1987, namely:-

1. (1) These rules may be called the Railway Protection Force Amendment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railway Protection Force Rules, 1987, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 45 in sub-rule (2), for the words “take steps to fill them up in accordance with these rules”, the words “send it to Railway Board” shall be substituted.
3. In the said rules, in rule 47, the following rule shall be substituted, namely:-

“47. Enlistment Standards. -

(1) **Physical Standard for Executive Cadre:** The minimum physical standard for enlistment as an enrolled member of the Force in Executive Cadre shall be at par with physical standard of recruitment for Central Armed Police Force as under:

- (a) Height – 170 cms
- (b) Chest: Unexpanded – 80 cms.
Expanded – 85 cms.

Provided that the minimum physical standard for female and reserved categories candidates shall be at par with physical standard of recruitment for Central Armed Police Force as well.

(2) **Physical Standard for other than Executive Cadre:** The minimum physical standard for enlistment as an enrolled member of the Force for other than Executive Cadre shall be as under:

- (a) Height – 165 cms
- (b) Chest: Unexpanded – 80 cms.
Expanded – 85 cms.

Provided that for persons who have not attained the age of twenty years, a relaxation of 2.5 cms. in height and 5 cms. in chest measurements may be allowed if the Divisional Medical Officer certifies that the person concerned is likely to attain the minimum prescribed standard on attaining the maximum age applicable in the case:

Provided further that the Director-General may prescribe separate physical standard for female candidates for direct recruitment.”

4. In the said rules, in rule 48,-
 - (a) in sub-rule 48.2, for the words “Constable”, the words “Constable other than Executive Cadre” shall be substituted.
 - (b) after sub-rule 48.2, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“48.3 A candidate for the post of Constable (Executive), by direct recruitment,-

 - (i) must be above the age of eighteen years but below the age of twenty-three years on the date of notification of the recruitment; and
 - (ii) must have passed High School Examination or its equivalent from a recognized Board or University.”
5. In the said rules, in rule 49,-
 - (a) for sub-rule 49.1, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“49.1 Selection for direct recruitment to the posts of Sub-Inspectors and Constables in Executive Cadre shall be made as per recruitment procedure of Staff Selection Commission for Central Armed Police Forces.”

(b) for sub- rule 49.2, for the word “Constables”, the words “Constables except Constable (Executive)” shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 51,-

(a) sub-rule 51.1 shall be renumbered as sub-rule 51.1A thereof, and before the sub-rule as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“51.1 The medical examination of the candidates for recruitment to the post of Sub-Inspectors (Executive) and Constables (Executive) shall be done by the Medical Officer of the Central Armed Police Forces or any other Medical Officer or Assistant Surgeon belonging to Grade-I of any Central/State Government Hospital or Dispensary.”

(b) in sub-rule 51.1A, for the word “candidate”, the words “candidate except executive cadre” shall be substituted.

[F. No. 2025/Sec(Spl)/01/7]

MAHESHWAR SINGH, Inspector General (Administration)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 951(E), dated 3rd December 1987 and subsequently amended vide the following modifications namely:-

1.	GSR 374	Dated the 24 th July, 1992
2.	GSR 574	Dated the 7 th November, 1994
3.	GSR 164	Dated the 20 th March, 1995
4.	GSR 45	Dated the 12 th January, 1996
5.	GSR 39 (E)	Dated the 17 th January, 1996
6.	GSR 45 (E)	Dated the 29 th January, 1997
7.	GSR 151 (E)	Dated the 11 th March, 1997
8.	GSR 229	Dated the 15 th July, 1999
9.	GSR 756 (E)	Dated the 2 nd November, 1999
10.	GSR 768 (E)	Dated the 2 nd November, 1999
11.	GSR 286	Dated the 20 th July, 2000
12.	GSR 359	Dated the 8 th September, 2000
13.	GSR 483	Dated the 24 th August, 2001
14.	GSR 790 (E)	Dated the 22 nd October, 2001
15.	GSR 618	Dated the 12 th November, 2001
16.	GSR 257 (E)	Dated the 28 th March, 2003
17.	GSR 448 (E)	Dated the 29 th May, 2003
18.	GSR 312 (E)	Dated the 13 th May, 2004
19.	GSR 245	Dated the 5 th July, 2004
20.	GSR 313	Dated the 25 th August, 2004
21.	GSR 649 (E)	Dated the 27 th September, 2004
22.	GSR 365	Dated the 29 th September, 2005
23.	GSR 366	Dated the 30 th September, 2005
24.	GSR 14	Dated the 24 th January, 2007
25.	GSR 114	Dated the 14 th June, 2007
26.	GSR 527 (E)	Dated the 1 st August, 2007
27.	GSR 803 (E)	Dated the 31 st October, 2008
28.	GSR 127 (E)	Dated the 25 th February, 2009
29.	GSR 400 (E)	Dated the 12 th May, 2010
30.	GSR 556 (E)	Dated the 16 th August, 2013
31.	GSR 719 (E)	Dated the 31 st October, 2013
32.	GSR 140 (E)	Dated the 2 nd February, 2018
33.	GSR 1067 (E)	Dated the 25 th October, 2018
34.	GSR 500(E)	Dated the 20 th July, 2021